

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रमाणित प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1975 ज्यैष्ठ 31, 1897

No. 163]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1975/JYAISTHA 31, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st June 1975

G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Banks (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Banks Rules, 1965, in the Table below rule 3, in item (5) and the entries relating thereto:—

(a) (i) for the words "Provident Fund", wherever they occur, except for the second time in the fifth column, the words "Provident Fund, Superannuation Fund" word "Fund" shall be substituted;

(ii) for the words "Provident Fund" where they occur for the second time, the word "Fund" shall be substituted;

(b) the following Note shall be inserted at the end, namely:—

"NOTE.—The rate of interest on a Superannuation Fund account or Gratuity Fund account shall be the same, as on a Provident Fund account, as may be announced by the Government from time to time."

[No. F. 3(4)-NS/75]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्यविभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जून, 1975

सांका०नि० 339 (अ).—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार डाक घर बचत बैंक नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक घर बचत बैंक (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक घर बचत बैंक नियम, 1965 में, नियम 3 के नीचे सारणी में, मद (5) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों में—

(क) (i) “भविष्य निधि” शब्दों के स्थान पर, पांचवें स्तम्भ में दूसरी बार आए “भविष्य निधि” शब्दों को छोड़कर, जहां कहीं भी वे आए हों, “भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या उद्योग निधि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “भविष्य निधि” शब्दों के स्थान पर, जहां वे द्वितीय बार आए हैं, “निधि” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण—अधिवर्षिता निधि खाते या उद्योग निधि खाते पर ब्याज की दर वही होगी जो भविष्य निधि खाते पर हो, जसी कि सरकार समय समय-पर अभिप्रेत करे।”

[सं० फा० 3(4)-एन० एा०/75]

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Post Office Savings Certificates Rules, 1960:—

(1) against item (i) for the figure “50,000”, the figure “75,000” shall be substituted;

(2) against item (ii), for the figure “1,00,000”, the figure “1,50,000” shall be substituted.

[No. F. 7(1)-NS/75]

K. N. ROW, Jt. Secy.

सांका०नि० 340 (अ).—सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 49) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार डाक घर बचत पत्र नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक घर बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1975 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक घर वंचत पत्र नियम, 1960 के नियम 5 में—

- (1) मद (i) के सामने, “50,000” अंक के स्थान पर “75,000” अंक रखा जाएगा।
- (2) मद (ii) के सामने, “1,00,000” अंक के स्थान पर, “1,50,000” अंक रखा जाएगा।

[सं० का० 7(1)-एन० एस०/75]

के० एन० राव, संयुक्त सचिव।

